

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators      New Delhi, dated 30.03.2016 .

**Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.**

**(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 10 OF 2016)**

**Sub: Appointment of facilitators for issuing of unreserved tickets  
through ATVMs.**

\*\*\*\*

Please refer to this office letter of even number dated 17.03.2015 (CC No. 16 of 2015) on the subject quoted above wherein instructions were issued for extension of scheme of facilitators upto 31.03.2016, subject to the following conditions:-

- (i) Concerted efforts should be made by Zonal Railways to proliferate ATVMs and to educate passengers about the features of ATVMs.
- (ii) Videos showing the demo of passengers using ATVMs should also be shown on the CCTVs installed on the platform so as to educate the passengers on this aspect.
- (iii) No serving employees should be allowed to act as facilitator and services of any such facilitator should be discontinued with immediate effect.
- (iv) CRIS will take necessary steps to examine the feasibility of making ATVMs more user- friendly so as to encourage the passengers to buy the tickets by themselves.

2. The issue regarding extension of the scheme of facilitators has been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided to continue with the scheme of facilitators up to 31.03.2017 subject to following conditions in addition to those indicated above:-

- i. No further extension to facilitator scheme shall be given for those zonal Railways where it was initially introduced in 2011 as per instructions contained in Commercial Circular No.60 of 2011. For other zonal Railways, the matter will be considered at the time of examining the issue regarding its further extension beyond 2017.
- ii. Fixed ATVMs should not be allotted to facilitators. ATVMs should be allotted on rotational basis for facilitators and general public, for which periodicity and the procedure can be worked out by Zonal Railway concerned.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.



(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators

New Delhi, dated 10.03.2016

Copy to:

FA & CAO, All Zonal Railways.  
Director (Audit), All Zonal Railways.



For Financial Commissioner/Railways

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

\*\*\*\*\*

सं. 2011/टीजी-1/10/एटीवीएम/फैसिलिटेटरस

नई दिल्ली दिनांक 10.03.2016

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 10)

विषय: एटीवीएम के माध्यम से अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए फैसिलिटेटरों की नियुक्ति।

\*\*\*\*\*

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 17.03.2015 के समसंख्यक पत्र (2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 16) का अवलोकन करें जिसमें निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन फैसिलिटेटरों की स्कीम को 31.03.2016 तक बढ़ाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे:-


- (i) क्षेत्रीय रेलों द्वारा एटीवीएमएस को अधिक संख्या में लगाने और एटीवीएमएस की विशेषताओं के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाएं।
- (ii) प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए सीसीटीवी पर यात्रियों द्वारा एटीवीएम का प्रयोग करने के डेमो का विडियो भी दिखाया जाए ताकि यात्रियों को इस पहलू के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- (iii) किसी भी सेवारत कर्मचारी को फैसिलिटेटर के रूप में काम करने की अनुमति न दी जाए और ऐसे किसी फैसिलिटेटर की सेवा तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाए।
- (iv) क्रिस द्वारा एटीवीएम को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्री स्वयं टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों।

2. रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से फैसिलिटेटरों की स्कीम की अवधि बढ़ाने के मामले की जांच की गई है और उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन फैसिलिटेटरों की स्कीम को 31.03.2017 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है:-

i. उन क्षेत्रीय रेलों में फैसिलिटेटर स्कीम की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जहां 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 60 में निहित अनुदेशों के अनुसार इसे 2011 में आरंभ में शुरू किया गया था। अन्य क्षेत्रीय रेलों के लिए इस स्कीम को 2017 से आगे बढ़ाने से संबंधित मामले की जांच करते समय इस मामले पर विचार किया जाएगा।

ii. फैसिलिटेटरों को निर्दिष्ट एटीवीएम आबंटित नहीं किए जाने चाहिए। फैसिलिटेटरों और आम जनता के लिए एटीवीएम का आबंटन रोटेशनल आधार पर किया जाना चाहिए जिसके लिए समयावधि और प्रक्रिया क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन


रेलवे बोर्ड

सं. 2011/टीजी-1/10/एटीवीएम/फैसिलिटेटर्स

नई दिल्ली दिनांक 10.03.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें  
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

  
कृते वित्त आयोग/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71